कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति भोपाल
Phone: 0755-2540590, 0755-4050000Fax 0755-2541376 Email:deangmc_bpl@yahoo.co.in www.gmcbhopal.net

क्रमांक ..../एम.सी./अराज/5/2026 भोपाल, दिनांक ..../02/2026

//आदेश//

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 1748/स्था/अराज/2020 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त गैर शैक्षणिक पदों की अनुमोदित अनुसूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने हेतु संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 572/स्था/अराज/2021 दिनांक 15.06.2021 एवं आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5284/विकास/2/2021 दिनांक 24.06.2021, कार्यालयीन भर्ती सूचना क्रमांक 16143/एमसी/अराज–5/दिनांक 07.05.2021 एवं पत्र क्र. 15187–89/एमसी/अराज–5/2021 दिनांक 29.05.2021 तथा पत्र क्रमांक 3295–97/एमसी/अराज/5/2021 दिनांक 18.06.2021 के तहत रिक्त पद गैर शैक्षणिक के सीधी भर्ती हेतु एमपीऑनलाइन द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परीक्षा आयोजित कर परिणाम अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को भेजा गया था, जिसके आधार पर चयनित उम्मीदवार को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विज्ञापन शर्तों एवं **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका डब्ल्यू.पी. क्र. 17396/2022 के आदेश के परिपालन में निहित बिन्दुओं/ शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।**

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम	संवर्ग	वेतनमान
1	श्री मोहम्मद सुफियान	श्री हाफिज जाविर हुसैन	348, गौर मार्ग, महाकौशल विद्यालय के पास, रफी अहमद किदवई वॉर्ड, मुरवारा, कटनी मध्यप्रदेश पिनकोड– 483501	रिकार्ड क्लर्क	अनारक्षित	19500–62000 (मेट्रिक्स लेवल 04 इण्डेक्स 1)

–नियुक्ति की शर्तें–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
3. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका डब्ल्यू.पी. क्र.17396/2022 के आदेश एवं प्रकरण कमेटी के निर्णय अनुसार पद–रिकार्ड क्लर्क (अनारक्षित श्रेणी संवर्ग) में **अधिसंख्य पद) Supernumerary Post)** के रूप में की जा रही है।
4. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका डब्ल्यू.पी. क्र. 17396/2022 के आदेश एवं प्रकरण कमेटी के निर्णय अनुसार पदनाम–रिकार्ड क्लर्क (अनारक्षित श्रेणी संवर्ग) में **Notional Seniority (सांकेतिक वरिष्ठता)** दिनांक 13.05.2022 (कु. दुर्गेश बबेले नियुक्ति दिनांक 13.05.2022) से प्रदान की जावेगी, जिसका कोई भी मानदेय/वेतन लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।
5. यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण के साथ 500/– रूपये के ई–स्टाम्प पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका डब्ल्यू.पी. क्र.17396/2022 के आदेश में निहित पद एवं वरिष्ठता लाभ के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के लाभ/पदोन्नति/मानदेय/वेतन इत्यादि की मॉग नहीं की जावेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (C) के अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
8. चयनित अभ्यार्थी को सेवा में रहते हुए त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो उसको एक माह पूर्व नोटिस देना होगा। यदि एक माह का नोटिस नहीं देता है तो उसको एक माह का वेतन संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

निरंतर पृष्ठ– 2

Scanned with OKEN Scanner

9. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

10. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही सेवा निरन्तर रहेगी। यदि चिकित्सकीय आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है तो सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां(स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ–7–2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.1996 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

13. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी।

14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

15. चयनित प्रत्याशी को 200/–रूपये के ई–स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।

16. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

17. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा

18. स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।

19. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्ते परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।

20. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।

21. इस नियुक्ति मे आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।

22. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

23. सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगें।

24. चयनित प्रत्याशी इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते है।

25. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगें।

26. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा। इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

27. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

पृ. कमांक 5378-85/एम.सी./अराज/5/2026

भोपाल, दिनांक 6/02/2026

प्रतिलिपि–

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावे।
6. प्रभारी अधिकारी स्वशासी/गोपनीय शाखा/न्यायालयीन शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
7. संबंधित कर्मचारी, नामः– श्री मोहम्मद सुफियान पदनामः– रिकार्ड क्लर्क पताः– 348, गौर मार्ग, महाकौशल विद्यालय के पास, रफी अहमद किदवई वॉर्ड, मुरवारा, कटनी मध्यप्रदेश पिनकोड– 483501 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

6/02/26

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner